न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–172/2021

1. मंजूर पुत्र सदुखां जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान चक 7 एसएसएम ए खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. अकबर पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री रफीकशाह, श्री इमीचंद गोदारा प्रार्थी की ओर से।

2 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :10.01.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/38 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टर व मु0नं0 67/39 किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा अर्थात 2.5290 हैक्टर कमाण्ड कुल 5.0580 है0 खातेदारीशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए मु0नं0 67/39 के किला नं0 21, 22, 23 में 2–2 बिस्वा से आना–जाना करता है लेकिन उक्त रकबा अप्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.5290 है0 व मु0नं0 67/39 के किला नं0 1/2, 2 ता 3, 8 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 13, 18 ता 19, 20/2, 21/2, 22, 23 की 15 किता में 3.6670 हैद्ध दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 67/39 के किला नं0 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 में 2–2 बिस्वा कटान दर्ज रिकॉर्ड रास्ता है। प्रार्थी इस कटानशुदा रास्ता के किला नं0 21/2 से होकर किला नं0 22, 23 से अपने किला नं0 24 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। यही एकमात्र रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः चक 7 एसएसएम ए मु0नं0 67/39 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में प्रवेश के लिए इसी मुरब्बा नु0 67/39 के किला नं0 21/2, 22, 23 में 2–2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता स्वीकृत कर कायम कर रास्ता रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/रीडर/2022/774 दिनांक 28.12.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 7 एसएसएम ए के मुरब्बा सं0 67/39 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व मु0नं0 67/38 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 5.0580 है0 कमाण्ड

कृषि भूमि मंजूर पुत्र सदूखां जाति मुसलमान खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी को रिकॉर्ड अनुसार अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है इसी मुरब्बा नं0 67/39 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.6670 है0 कृषि भूमि अनवर, करीमबक्स, यासीनखां, रहीमखां, लाला, सादकखां पि0 अकबर जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। मौके पर मु0नं0 67/39 के किला नं0 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है जिससे मंजूर पुत्र सदूखां अपने खेत के किला नं0 25 में बनी ढ़ाणी में आवागमन करते है। अतः मौके अनुसार किला नं0 21 ता 23 में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर पुत्र सदूखां को खेत में जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67/39 के किला नं0 21 ता 23 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम ए मुरब्बा नंबर 67/39 की अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 के इसी मुरब्बा नं0 67/39 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 67/39 के किला नं0 21 ता 23 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)